रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D. L -33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 17, 2000/माघ 28, 1921
No. 110] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 2000/MAGHA 28, 1921

## उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(चीनी और खाद्य तेल विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2000

**सा.का.नि. 135(अ)आ.व./चीनी** :—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेवी चीनी प्रदाय (नियंत्रण) आदेश, 1979 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम लेवी चीनी प्रदाय (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2000 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. लेवी चीनी प्रदाय (नियंत्रण) आदेश, 1979 में, खंड 2 में,—

(i) उपखंड (1) और उपखंड (3) में 'उत्पादक' शब्द के स्थान पर, क्रमशः 'उत्पादक या आयातकर्ता' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (1) में मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) ऐसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।"

(iii) उपखंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) देशी उत्पादक लेवी चीनी का प्रदाय आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (3-ग) के अधीन अवधारित कीमत से अनधिक कीमत पर और चीनी का आयातकर्ता उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के खंड (ख) के अधीन निर्धारित नियंत्रित कीमत से अनधिक कीमत पर करेगा।";

(iv) उपखंड (2) में, "कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग" शब्दों के स्थान पर "उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, चीनी और खाद्य तेल विभाग" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1-10/99 एस.पी.वाई(डी-II)]

आर.एन.दास, संयुक्त सचिव

**टिप्पण** :—मूल आदेश भारत के राजपत्र सं. 696(अ)/आ.व./चीनी तारीख 17-12-1979 में प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

### (Department of Sugar and Edible Oils)

### ORDER

New Delhi, the 17th February, 2000

**G.S.R. 135(E)Ess. Com./Sugar :**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979, namely .—

1 (1) This Order may be called the Levy Sugar Supply (Control) Amendment Order, 2000.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979, in clause 2,—

(i) in sub-clauses (1) and (3), for the word 'producer', the words 'producer or importer' shall respectively be substituted;

(ii) in sub-clause (1) for item (b), the following item shall be substituted, namely :—

"(b) to such State Government/Union Territory Administration, as may be specified in the Order."

(iii) after sub-clause (1), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(1A) The domestic producer shall supply levy sugar at a price not exceeding the price determined under sub-section (3-C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 and the importer of sugar shall supply at a price not exceeding the controlled price fixed under clause (b) of sub-section 3 of section 3 of that Act.";

(iv) in sub-clause (2), for the words, "Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Food", the words "Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution, Department of Sugar and Edible Oils" shall be substituted.

[F. No. 1-10/99-SPY(D.II) ]

R.N. DAS, Jt. Secy.

**Note :**—The principal Order was published in the Gazette of India vide number 696/E/Ess. Com./Sugar Dated 17-12-1979

### आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2000

**सा.का.नि. 136( अ )आ.व./चीनी :**—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि चीनी की नियंत्रित कीमत केन्द्रीय सरकार द्वारा चीनी के देशी उत्पादक से भिन्न किसी व्यक्ति से चीनी क्रय करने के प्रयोजन के लिए, या जैसा समय-समय पर यथा संशोधित रूप में लेवी चीनी प्रदाय (नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशित किया जाए, 1999-2000 चीनी मौसम के लिए प्रति क्विंटल 1050.99 रुपए (एक हजार पचास रुपए निन्यानवे पैसे मात्र) होगी।

**स्पष्टीकरण :**—1050.99 रुपए (एक हजार पचास रुपए निन्नानवें पैसे मात्र) प्रति क्विंटल की कीमत 1999-2000 चीनी मौसम के लिए चीनी के देशी उत्पादकों को संदेय लेवी चीनी कीमत का भारित औसत है।

[फा. सं.-1-10/99-एसपीवाई (डी-II)]

आर.एन. दास, संयुक्त सचिव

### ORDER

New Delhi, the 17th February, 2000

**G.S.R. 136(E)Ess. Com./Sugar :**—In exercise of the powers conferred by Section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the controlled price of sugar, for the purpose of buying sugar from any person other than a domestic producer of sugar, by the Central Government or as directed by the Central Government under the Levy Sugar Supply (Control)

Order, 1979 as amended from time to time, shall be Rs. 1050 99 (Rupees one thousand fifty and paise ninty-nine only) per quintal for the sugar season 1999-2000

**Explanation :**—The price of Rs 1050 99 (Rupees one thousand fifty and paise ninty-nine only) per quintal is the weighted average of levy sugar price payable to domestic producers of sugar for the sugar season 1999-2000.

[F No 1-10/99-SPY(D.II)]

R.N. DAS, Jt. Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2000

**सा. का. नि. 137( अ ) आ. व./चीनी.**—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (च) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि चीनी का प्रत्येक आयातकर्ता इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से, आयातित चीनी का तीस प्रतिशत केंद्रीय सरकार को या जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित रूप में लेवी चीनी प्रदाय (नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन, निदेशित किया जाए, विक्रय करेगा।

**टिप्पण :** चीनी के देशी उत्पादकों पर लेवी की बाध्यता 1-1-2000 से चालीस प्रतिशत से घटाकर तीस प्रतिशत कर दी गई है।

[फा. सं. 1-10/99-एस.पी.वाई(डी-II)]

आर. एन. दास, संयुक्त सचिव

## ORDER

New Delhi, the 17th February, 2000

**G.S.R. 137(E). Ess. Com./Sugar**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with clause (f) of Sub-section (2) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that every importer of sugar shall sell thirty per cent of the imported sugar, with effect from the date of publication of this Order, to the Central Government or as directed by the Central Government under the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 as amended from time to time.

**Note :** The levy obligation on domestic producers of sugar has been reduced from forty per cent to thirty per cent with effect from 1-1-2000

[F. No 1-10/99-SPY(D.II)]

R. N. DAS, Jt. Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2000

**सा. का. नि. 138( अ ) आ. व./चीनी.**—भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन सा. का. नि. सं. 137 तारीख 17-2-2000 द्वारा एक आदेश जारी किया है जिसमें यह आदेश दिया गया है कि चीनी का प्रत्येक आयातकर्ता, आयातित चीनी का तीस प्रतिशत या जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित, लैवी चीनी प्रदाय (नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन निदेश दिया जाए, केंद्रीय सरकार को विक्रय करेगा;

केंद्रीय सरकार ने, चीनी के आयातकर्ता से इस प्रकार अपेक्षा की गई लैवी चीनी की कीमत के संदाय पर ध्यानपूर्वक विचार किया है;

केंद्रीय सरकार के लिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन यथा उपबंधित करार पाई गई कीमत के लिए चीनी के प्रत्येक आयातकर्ता के साथ करार करना न तो साध्य है न व्यवहार्य;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी के आयातकर्ता से अपेक्षा की गई लैवी चीनी की कीमत नियत करती है और निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आयातित चीनी (कीमत नियतन) आदेश, 2000 है।

   (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं**—इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

   (क) "आयातित चीनी" से वह चीनी अभिप्रेत है जो भारत में उत्पादित नहीं है और प्रचलित कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन के विनिर्देशों के अनुरूप है;

   (ख) "चीनी का आयातकर्ता" का वही अर्थ होगा जो चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 में है;

   (ग) "चीनी मौसम" से 1 अक्तूबर से प्रारंभ होने वाली और अगले वर्ष के 30 सितंबर को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है।

3. **1999-2000 चीनी मौसम में चीनी के आयातकर्ता से अपेक्षा की गई लैवी चीनी की कीमत**

(1) चीनी के सभी आयातकर्ताओं को, चीनी मौसम 1999-2000 के दौरान उनसे अपेक्षा की गई लैवी चीनी के लिए 1050.99 रुपए (केवल एक हजार पचास रुपए और निन्यानबे पैसे) प्रति क्विंटल की दर से संदाय किया जाएगा जो कि सा. का. नि. 136 (अ) आ.व./चीनी, तारीख 17-2-2000 द्वारा अधिसूचित नियंत्रित कीमत है।

(2) उपखंड (1) में निर्दिष्ट कीमत में आयातकर्ता गोदाम से बैलगाड़ी, लौरियों, ट्रकों, छोटे ट्रकों या सड़क परिवहन के किसी अन्य साधन में, क्रेता के विकल्प पर, लदान भी सम्मिलित है।

(3) जब क्रेता के विकल्प पर लदान रेलवे स्टेशन पर रेलवे वैगनों में किया जाता है तो चीनी के आयातकर्ता को प्रति क्विंटल 1.57 रुपए (केवल एक रुपया और सतावन पैसे) की दर से अतिरिक्त संदाय किया जाएगा और यदि रेलवे स्टेशन आयातकर्ता के गोदाम से 5 किलोमीटर से अधिक दूर है तो प्रति क्विंटल 0.13 रुपए (केवल तेरह पैसे) की अतिरिक्त रकम चीनी के आयातकर्ता को संदत्त की जाएगी।

(4) चीनी आयातकर्ता को संदेय कीमत के अवधारण के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जिसको लैवी चीनी की अपेक्षा की गई है न कि परेषण के पहुंचने की तारीख।

[फा. सं. 1-10/99-एसपीबाई.डी. II]

आर. एन. दास, संयुक्त सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 17th February, 2000

**G.S.R. 138(E) Ess. Com./Sugar**—Whereas the Government of India has issued an Order under clause (f) of Sub-section 2 of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) vide number GSR 137 dated 17-2-2000 wherein, it has been ordered that every importer of sugar shall sell thirty per cent of the imported sugar to the Central Government or as directed by the Central Government under the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 as amended from time to time;

And whereas the Government of India has carefully considered the payment of price for the levy sugar so requisitioned from the importer of sugar,

And whereas, it is neither feasible nor practicable for the Government of India to enter into agreement with each and every importer of sugar for an agreed price provided under clause (a) of Sub-section (3) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) fixes the price of levy sugar requisitioned from an importer of sugar and makes the following Order, namely .—

1 **Short title and commencement** :—(1) This order may be called the Imported Sugar (Price Fixation) Order, 2000

(2) It shall come into the force on the date of its publication in the Official Gazette

2 **Definitions** :—In this Order, unless the context otherwise requires,—(a) **'imported sugar'** means sugar not produced in India and conforming to the specification of the Codex Alimentarius Commission in vogue;

(b) **'importer of sugar'** shall have the same meaning as in the Sugar (Control) Order, 1966;

(c) **'sugar season'** means the period beginning from the 1st day of October and ending on the 30th day of September of the next year.

3 **Price for the levy sugar requisitioned from an importer of sugar in 1999-2000 sugar season**

(1) All importers of sugar shall be paid at the rate of Rs 1050.99 (Rupees one thousand fifty and paise ninety-nine only) per quintal for the levy sugar requisitioned from them during the sugar season 1999-2000, which is the controlled price as notified vide number G S R 136(E)Ess.Com./Sugar dated 17-2-2000.

(2) The price referred to in sub-clause (1) include loading at buyer's option from Importer godown into carts, lorries, trucks, mini trucks or any other means of road transport.

(3) When the loading at buyer's option is done into railway wagons at railway station, the importer of sugar shall be paid extra at the rate of Rs 1 57 (Rupee one and paise fifty seven only) per quintal and if the railway station is beyond 5 kms from the importer godown, an additional amount of Rs. 0 13 (Rupee 'nil' and paise thirteen only) per km. Per quintal shall be paid to the importer of sugar

(4) The crucial date for determination of the price payable to the importer of sugar shall be the date on which the levy sugar is requisitioned and not the date of arrival of the consignment.

[F No 1-10/99-SPY(D II)]

R N DAS, Jt Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapur, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054